**<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर</u>**

<u>आदेश</u>

एकलपीठ सिविल विविध अन्तरण याचिका संख्या-58/2009
श्रीमती दुर्गश बनाम बच्चू सिंह

**दिनांक- 26.02.2010**

**<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>**

श्री करतार सिंह, अधिवक्ता- प्रार्थिया की ओर से
श्री निखिल कटारा, अधिवक्ता- विपक्षी की ओर से

--

प्रार्थिया श्रीमती दुर्गश की ओर से यह अन्तरण याचिका अन्तर्गत धारा 24 जाप्ता दीवानी में प्रस्तुत कर विपक्षी- बच्चू सिंह द्वारा प्रस्तुत सिविल विविध प्रकरण (HMA) नं.234/2008 **( बच्चू सिंह बनाम श्रीमती दुर्गेश )** अन्तर्गत धारा-13 हिन्दू विवाह अधिनियम, जो कि जिला न्यायाधीश, भरतपुर के न्यायालय में लम्बित है, को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, किशनगढ़- बास, अलवर के न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अन्तरण प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया की ओर से तर्क दिया गया है कि वह महिला है तथा उसे अपने पति द्वारा घर से निकाल दिये जाने के कारण वह अपने माता-पिता के साथ खैरथल जिला-अलवर में निवास कर रही है एवं अपने अच्छे भविष्य हेतु अग्रिम पढ़ाई भी कर रही है तथा इस मुकदमें की पैरवी हेतु उसका अकेला प्रत्येक पेशी पर भरतपुर जाना अत्यन्त दुष्कर होगा। प्रार्थिया की ओर से यह भी तर्क रहा है कि पक्षकारों के मध्य धारा- 498-ए व 406 भारतीय दण्ड संहिता, धारा-125 जाप्ता फौजदारी, धारा-23 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम,2005 एवं धारा-9 हिन्दू विवाह

अधिनियम के प्रकरण किशनगढ़ बास जिला-अलवर के न्यायालय में लम्बित है। अत: विपक्षी बच्चू सिंह द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद प्रार्थना पत्र को किशनगढ़बास जिला-अलवर स्थित न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी की ओर से तर्क दिया गया है कि विपक्षी विकलांग है तथा इन परिस्थितियों में उसे नियमिति रूप से किशनगढ-बास स्थित न्यायालय में जाने में कठिनाई होगी। उनका यह भी तर्क रहा है कि केवल मात्र महिला होने से प्रार्थिया को वैवाहिक विवाद से सम्बन्धित मामले को भरतपुर से अन्तरित कराने का वैधानिक अधिकार नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि धारा-9 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद प्रस्तुत किया गया है।

हमने उनके तर्कों पर मनन किया।

प्रार्थिया श्रीमती दुर्गेश महिला है तथा इस तथ्य का भी विपक्षी की ओर से खण्डन नहीं किया गया है कि वह वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ खैरथल तहसील किशनगढ़-बास जिला-अलवर में निवास कर रही है तथा पक्षकारों के मध्य चार प्रकरण किशनगढबास जिला-अलवर स्थित न्यायालय में लम्बित है, जिसमें विपक्षी अपना पक्ष रख रहा है, इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में विपक्षी- बच्चू सिंह द्वारा प्रस्तुत सिविल विविध प्रकरण (HMA) नं. 234/2008 **( बच्चू सिंह बनाम श्रीमती दुर्गेश )** अन्तर्गत धारा-13 हिन्दू विवाह अधिनियम, जो कि जिला न्यायाधीश, भरतपुर के न्यायालय में लम्बित है को जिला न्यायाधीश, भरतपुर के न्यायालय से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, अलवर में अन्तरति किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, किशनगढ़-बास जिला-अलवर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वैवाहिक विवाद से सम्बन्धित उनके न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को यथा सम्भव एक साथ

सुनवाई हेतु रखेंगे।

तदनुसार यह अन्तरण याचिका निस्तारित की जाती है।

**(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल )**

अनिल शर्मा/-